

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

क्षेमा सुकृति प्रस्ताव प्रपत्र			
प्रस्ताव सं।	इमेल आइडी: customer.support@kshema.co	वेबसाइट: www.kshema.co	
वितरण विवरण			
चैनल का नाम -	प्रत्यक्ष/अभिकर्ता/दलाल/बैंक	चैनल कोड	
पी. ओ. एस. पी. नाम	पी. ओ. एस. पी. कोड:		
प्रस्तावक विवरण			
पर्यावरण का नाम Mr./Mrs./Ms:			
पता:		संपर्क क्र.:	
बीमाकृत विवरण			
बीमित व्यक्ति का नाम Mr./Mrs./Ms है।			
पूरा खेत का पता:	आधार संख्या:	Contact No:	किसान का ईमेल आइडी:
प्रस्तावक श्रेणी	असंगठित क्षेत्र/अनौपचारिक क्षेत्र/आर्थिक रूप से कमजोर/पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	प्रस्ताव किसका है	ग्रामीण/शहरी
क्या आपका प्रस्तावित खेत सिंचित है या वर्षा सिंचित भूमि?		सिंचाई का स्रोत (यदि सिंचित हो):	
खेत के साथ संबंध: मालिक/किरायेदार	किरायेदार के मामले में (मालिक का नाम दें)		
नामांकित विवरण		गार्डियन विवरण	
नामांकित व्यक्ति का नाम - बीमित किसान के साथ संबंध: आयु: * (नाबालिग के मामले में अभिभावक विवरण प्रदान करें)	संरक्षक का नाम - नामांकित व्यक्ति के साथ संबंध: आयु:		
विषय-वस्तु विवरण			
फसल का पूरा नाम	फसल की अवधि (दिनों में)	बुवाई की तिथि	कुल बीमित क्षेत्र
फार्म का स्थान	जिला	तहसील	गाँव
खेती का प्रकार: फसल-जैविक प्रकार/अकार्बनिक प्रकार/निर्दिष्ट नहीं	बीमाकृत पॉलिसी राशि	क्षतिपूर्ति प्रतिशत	फसल की कोई भी विशेष प्रथाएँ
बहुभुज आइडी/फार्म लैट-लोन	विविधता	किरायेदार प्रमाणपत्र/कोई अन्य विवरण	
कवरेज: नीचे दी गई 2 श्रेणियों में से प्रत्येक में से केवल 1 खतरे का चयन करें।			
प्रमुख खतरे	बाढ़, बाढ़ (हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं), नामित चक्रवात, तूफान		

छोटे खतरे	ए) हाथी द्वारा हमला बी) जंगली सूअर, सुनामी सहित भूकंप, बिजली गिरने से लगी आग, भूस्खलन		
क्या आप खेती की अधिकतम लागत के लिए कोई अतिरिक्त बीमा राशि चाहते हैं। यदि हां, तो कितनी राशि?	₹		
कृपया ध्यान दें कि अतिरिक्त बीमित राशि को पॉलिसी की शुरुआत में चुना जा सकता है और बाद में नहीं।			
क्या बीमित खेत/संपत्ति को जियोटैग किया गया है? हाँ/नहीं	एकड़ के साथ प्रस्तावित खेत की सर्वेक्षण संख्या:		
फसल का मौसम- खरीफ़/रबी/गर्मियाँ			
संलग्न दस्तावेज़: (फोटोकॉपी) भूमि अभिलेख/आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट फोटो/बैंक पासबुक/किरायेदार प्रमाण पत्र/बुवाई प्रमाण पत्र/यदि कोई अन्य हो, तो निर्दिष्ट करें।			
विवरण जोड़ें			
क्या आप नीलगाई ऐड-ऑन कवर चुनना चाहेंगे? हाँ। नहीं।			
यदि हाँ, तो कृपया नीलगाई के खिलाफ अपने खेत के लिए चुने गए निवारक उपायों का उल्लेख करें। क. शारीरिक अवरोधक। ख. दृश्य विकर्षक ग. रासायनिक विकर्षक घ. जैविक अवरोधक ई. कोई अन्य विधि। यदि हाँ, तो कृपया उल्लेख करें			
प्रीमियम भुगतान विधि: कृपया भुगतान विधि पर टिक करें। यू. पी. आई./नेट बैंकिंग/पी. टी. एम./डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड	लेन-देन सं./भुगतान का विवरण	प्रीमियम भुगतान की तिथि:	
बीमा की अवधि:			
बीमा इतिहास			
बीमा कंपनी का नाम और पॉलिसी संख्या	बीमा की अवधि	क्या आपको कोई दावा प्राप्त हुआ है:	प्राप्त दावे की राशि (₹), यदि कोई हो
गिरावट/अस्वीकृति/लॉडिंग के कोई कारण:			
आपको/बीमित व्यक्ति को किए जाने वाले किसी भी भुगतान के लिए बैंक विवरण:			
बैंक का नाम	बैंक शाखा	आईएफएससी कोड	खाता संख्या

वित्तीय रुचि			
बैंकर/फाइनेंसर का नाम		बैंक/वित्तपोषक का पता:	
घोषणा			
मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि प्रस्ताव प्रपत्र को पूरा करने से पहले योजना के प्रावधानों को मुझे विस्तार से पढ़ा और समझा/समझाया गया है। मैं एतद्वारा आगे घोषणा करता हूँ कि विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।			
प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे की छाप।	तारीख:	स्थान:	
केवल कार्यालय उपयोग उद्देश्य			
प्रस्ताव सं।			
नाम -	पदनाम:	कर्मचारी आईडी	स्थान:
सत्यापन की तारीख:	अधिकारी के हस्ताक्षर:		

नोट: इस प्रस्ताव प्रपत्र को बीमा के प्रमाण के रूप में तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि यू. एस. और क्षेमा सुकृति बीमा पॉलिसी द्वारा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है।

बीमा अधिनियम 1938 धारा 41-छूट का निषेध

निम्नलिखित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 की प्रति है।

- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकरण करने या जारी रखने के लिए प्रलोभन के रूप में अनुमति नहीं देगा या अनुमति नहीं देगा।
- इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति दस लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।